

शाला विकास योजना (SDP)

- शाला विकास योजना शाला स्तर पर ही रखी जावेगी।
- इस योजना के मुख्यबिन्दु जिनका समाधान वरिष्ठ कार्यालय द्वारा संबंधित है उन बिन्दुओं को जनशिक्षा विकास योजना प्रपत्र-2 में भरकर भेजा जाना है।

(प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्य योजना निर्माण में शाला विकास योजना को अद्यतन किया जाना होता है)

वर्ष 2024–25 से वर्ष 2027–28

शाला का विज्ञन —

शाला का नाम :

शाला का प्रकार : (कक्षा 1–5) / (कक्षा 6–8) / (कक्षा 1–8) / EPES

शाला का डायस कोड :

जनशिक्षा केन्द्र :

विकासखण्ड :

जिला :

शाला भवन का फोटो ग्राफसचिव

शाला प्रबंध समिति

शाला

विकासखण्ड

अध्यक्ष

शाला प्रबंध समिति

प्राथमिक / माध्यमिक शाला /

विकासखण्ड

जिला

शाला विकास योजना निर्माण एवं प्रक्रिया

- शाला विकास योजना तैयार करने के लिये UDISE में बच्चों एवं शिक्षक की जानकारी के साथ अन्य जानकारियों का भी उपयोग करें। आवश्यकतानुसार UDISE की जानकारी संलग्न करें।
- शाला में बच्चों के नामांकन एवं रिजल्ट की जानकारी के लिए UDISE+ के प्रपत्र का उपयोग करें।
- शाला सिद्धि के आयाम के अनुरूप शाला विकास योजना में उपयोग करें।
- सबसे पहले ग्राम की प्रोफाइल तैयार करने, जिसमें गांव में उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधन, मूल्य व्यवसाय, त्यौहार, मेले, गौरव पूर्ण अतीत (इतिहास) आदि की जानकारी तैयार की जाए।
- विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों तथा आवश्यकताओं की स्थिति दर्शाने में लिए स्कूल प्रोफाइल बनाएं।
- पालकों व स्थानीय समुदाय को अवगत करायें कि आपके पास क्या क्या संसाधन हैं शाला को अच्छा बनाने के कौन कौन से संसाधन और चाहिए ? वांछित संसाधनों की सूची बनाएं।
- यह भी विचार करें कि कौन से संसाधन समुदाय से प्राप्त हो सकते हैं। कौन व्यक्ति इसकी जिम्मेदारी लेगा यह भी तय करें।
- विद्यालय से जुड़े सभी पक्षों की योजना सबको मिलाकर बनानी होगी व उस पर अमल करना होगा।
- बनाई गई कार्य योजना के लिए बच्चों, शिक्षकों व पालकों की पृथक—पृथक टीम बनानी होगी।
- कार्य का वितरण इस प्रकार करना होगा कि हर व्यक्ति को पता हो कि उसे कौन सा कार्य कब करना है, किसके सहयोग से करना है।
- शाला विकास योजना तैयार करने के पूर्व बच्चों, एस.एम.सी. व साथी शिक्षकों से पृथक—पृथक चर्चा कर शाला की वर्तमान स्थिति एवं चाही गई स्थिति का निर्धारण कर कर प्रक्रिया, उत्तरदायित्व एवं समयावधि तय करनी होगी।
- *आयाम एवं मानक : शाला के सुधार हेतु कार्य क्षेत्र को 07 आयामों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक आयाम एक बड़ा कार्य क्षेत्र है, इसलिए प्रत्येक आयाम को छोटे-छोटे उपक्षेत्रों में बांटा गया है। इन उपक्षेत्रों को मानक कहा गया है। मानकों की कुल संख्या 46 है। हर आयाम में मानकों की संख्या अलग-अलग है। विस्तृत विवरण हेतु शाला सिद्धि निर्देशिका का अवलोकन करें।

1.ग्राम/वार्ड की सामान्य जानकारी

- 1.1 ग्राम/वार्ड का नाम पंचायत का नाम
- 1.2 जनशिक्षा केन्द्र विकासखण्ड जिला
- जनसंख्या महिला पुरुष योग
- 1.3 ग्राम/वार्ड में उपलब्ध शिक्षा सुविधाएं (संख्या)
- 1.5 – प्राथमिक (शास..... अशास)
- 1.6 – मिडिल (शास अशास)
- 1.7 – हाईस्कूल (शास..... अशास)
- 1.8 – हायर सेकेण्डरी (शास..... अशास)
- 1.5 मुख्य व्यवसाय
- 1.6 प्रमुख उद्योग धंधे
- 1.6 मुख्य फसलें/वनोपज
- 1.7 आय के साधन
- 1.8 बोली जाने वाली बोलियां
- 1.9 गांव या आस पास के मेले
- 1.10 धार्मिक आयोजन
- 1.11 सांस्कृतिक आयोजन
- 1.12 गांव की प्रमुख ऐतिहासिक धरोहर
- 1.13 धार्मिक स्थल
- 1.14 लोक गीत
- 1.15 मुख्य पहाड़/जंगल/नदियां आदि
- 1.16 आंगनवाड़ी – है/नहीं है
- 1.17 स्वास्थ्य केन्द्र – है/नहीं है
- 1.18 पोस्ट ऑफिस – है/नहीं है

- 1.19 पुलिस स्टेशन – है/नहीं है
- 1.20 बैंक – है/नहीं है
- 1.21 स्व सहायता समूह – है/नहीं है
- 1.22 क्या गांव तक रेल/सड़क मार्ग है – है/नहीं है
- 1.23 पंचायत/नगर पंचायत –
- 1.24 यदि गांव में अन्य सुविधा हो तो लिखें
- 1.25 जिला मुख्यालय से गांव की दूरी

2. शाला की जानकारी

- 2.1 शाला लगने का समय
.....सेतक
- 2.2 शाला का समय बच्चों तथा पालकों की सुविधा से तय किया गया है – हाँ/नहीं
- 2.3 भवन की स्थिति – पर्याप्त/अपर्याप्त,
2-3.1 – सही स्थिति में/मरम्मत योग्य
- 2.4 शिक्षण कक्षों की संख्या
- 2.5 स्टाफ रूम – हाँ/नहीं
- 2.6 प्रधानाध्यापक कक्ष – हाँ/नहीं
- 2.7 प्रयोग शाला – हाँ/नहीं
- 2.8 पुस्तकालय – हाँ/नहीं
- 2.9 कम्प्यूटर – हाँ/नहीं
- 2.10 किचन शेड – हाँ/नहीं
- 2.11 फर्नीचर – हाँ/नहीं
- 2.12 खेल का मैदान – हाँ/नहीं
- 2.13 बाउण्डीवाल हाँ/नहीं
- 2.14 पेयजल – हाँ/नहीं
- 2.15 बालक बालिकाओं हेतु पृथक पृथक शौचालय – हाँ/नहीं
- 2.16 रैम्प रेलिंग सहित/रेलिंग रहित, – हाँ/नहीं
- 2.17 सफाई कर्मचारी – हाँ/नहीं
- 2.18 शिक्षकों की संख्या –
- 2.19 कौन सा विषय पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं हैं—
विषय
- 2.20 शिक्षकों के परस्पर संबंध – सामान्य/सौहार्दपूर्ण

- 2.21 शिक्षकों के समुदाय से संबंध – सामान्य/सौहार्दपूर्ण
- 2.22 शिक्षकों के आवास हेतु शासकीय भवन है – हाँ/नहीं
- 2.23 कक्षा में बच्चों के बैठने हेतु पर्याप्त व्यवस्था है – हाँ/नहीं
- 2.24 कक्षा में पर्याप्त हवा प्रकाश एवं विद्युत व्यवस्था है – हाँ/नहीं
- 2.25 शाला में प्रार्थना सभा में होने वाली गतिविधियों का उल्लेख करें
- 2.26 शाला में अध्ययनरत् छात्रों की उपलब्धियां –
– अकादमिक
–सांस्कृतिक
– खेलकूद
- 2.27 शिक्षकों की उपलब्धियां/पुरस्कार (जिला स्तर/राज्य स्तर/राष्ट्रीय स्तर)
- 2.28 शाला में सहयोग करने वाले अन्य व्यक्ति/संस्थाएं/
(सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं/एन.जी.ओ. से प्राप्त योगदान का विवरण दें)
- सहयोगी व्यक्ति/संस्था का नाम दिये गये सहयोग का विवरण
-
-
-
-
- 2.29 शाला के विकास में जन शिक्षा केन्द्र की भूमिका दृ

शाला विकास योजना

वर्ष 2025–26 से वर्ष 2027–28

शाला विकास की योजना तैयार करते समय उचित होगा कि सभी हितधारकों (विद्यार्थी, संस्था प्रमुख, शिक्षक, पालक और समुदाय) को मिल जुल कर शाला की वर्तमान स्थिति और आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से चिह्नित करना चाहिये शाला के सुधार हेतु समग्रतः सात आयाम हैं। प्रत्येक आयाम को छोटे-छोटे उपक्षेत्रों में बांटा गया है। इन उपक्षेत्रों को मानक कहा गया है। मानकों की कुल संख्या 46 है। शाला विकास की योजना तैयार करते समय इन सभी पर विचार करना चाहिये और शाला के विकास हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना विधारित प्राप्त में तैयार करनी चाहिये।

शाला विकास योजना प्रारूप

शाला का नाम जनशिक्षा केन्द्र विकासखण्ड जिला

आयाम*	मानक*	वर्तमान स्थिति	अपेक्षित स्थिति	अपेक्षित स्थिति तक पहुंचने के लिए किये जाने वाले कार्य		
				शाला स्तर पर किये जाने वाले कार्य	विभागीय सहायता से किये जाने वाले कार्य	किससे एवं क्या सहयोग अपेक्षित है
1	2	3	4	5	6	7
1. शाला में उपलब्ध संसाधन – उनकी उपलब्धता और पर्याप्तता, गुणवत्ता और उपयोगिता	1. शाला परिसर 2. खेल का मैदान, खेल-सामग्री और उपकरण 3. कक्षा और अन्य कक्ष 4. विद्युत और उपकरण 5. पुस्तकालय 6. प्रयोगशाला (जहाँ प्रावधान हो) 7. कम्प्यूटर (जहाँ प्रावधान हो) 8. रैंप 9. मध्याह्न भोजन, रसोई और बर्तन 10. पेयजल					

आयाम*	मानक*	वर्तमान स्थिति	अपेक्षित स्थिति	अपेक्षित स्थिति तक पहुंचने के लिए किये जाने वाले कार्य		
				शाला स्तर पर किये जाने वाले कार्य	विभागीय सहायता से किये जाने वाले कार्य	किससे एवं क्या सहयोग अपेक्षित है
11. हाथ धोने की सुविधाएँ						
	12. शौचालय					
2. सीखना-सिखाना और उसका आकलन	1. विद्यार्थियों के बारे में शिक्षकों की समझ					
	2. शिक्षक का विषय और शैक्षणिक ज्ञान					
	3. शिक्षण के लिए योजना					
	4. सीखने का वातावरण					
	5. सीखने-सिखाने की प्रक्रिया					
	6. कक्षा प्रबंधन					
	7. विद्यार्थियों का आकलन					
	8. सीखने-सिखाने के संसाधनों का उपयोग					
	9. सीखने-सिखाने की विधियों पर शिक्षकों द्वारा स्व-चिंतन					
3. विद्यार्थियों की प्रगति, उपलब्धि और विकास	1. विद्यार्थियों की उपस्थिति					
	2. विद्यार्थियों की भागीदारी एवं संलग्नता					
	3. विद्यार्थियों की प्रगति					
	4. विद्यार्थियों का व्यक्तिगत और सामाजिक विकास					
	5. विद्यार्थियों की उपलब्धि					
4. शिक्षकों का कार्य-प्रदर्शन और उनका व्यावसायिक उन्नयन	1. नवागत शिक्षकों का उन्मुखीकरण					
	2. शिक्षक उपस्थिति					
	3. कार्य-वितरण और कार्य-प्रदर्शन के लक्ष्य					
	4. पाठ्यक्रम की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षकों की तैयारी					

आयाम*	मानक*	वर्तमान स्थिति	अपेक्षित स्थिति	अपेक्षित स्थिति तक पहुंचने के लिए किये जाने वाले कार्य		
				शाला स्तर पर किये जाने वाले कार्य	विभागीय सहायता से किये जाने वाले कार्य	किससे एवं क्या सहयोग अपेक्षित है
5. शाला नेतृत्व और शाला प्रबंधन	5. शिक्षकों के कार्य-प्रदर्शन की मॉनिटरिंग					
	6. शिक्षकों का व्यावसायिक उन्नयन					
	1. विज़न और दिशा निर्धारण					
	2. परिवर्तन और सुधार के लिए नेतृत्व					
	3. सीखने-सिखाने के लिए नेतृत्व					
6. समावेश, स्वास्थ्य और सुरक्षा	4. शाला प्रबंधन के लिए नेतृत्व					
	1. समावेश का वातावरण					
	2. विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CWSN) का समावेश					
	3. शारीरिक सुरक्षा					
	4. भावनात्मक सुरक्षा					
7. समुदाय की सहभागिता	5. स्वास्थ्य और साफ़-सफाई					
	1. एसएमसी/एसएमडीसी का गठन और प्रबंधन					
	2. एसएमसी/एसएमडीसी का सशक्तिकरण					
	3. शाला-समुदाय सहसम्बन्ध					
	4. समुदाय, सीखने के संसाधन के रूप में					
	5. समुदाय का सशक्तिकरण					

हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक प्रा./मा./शाला विकासखण्ड जिला	हस्ताक्षर शाला प्रबंधन समिति अध्यक्ष प्रा./मा./शाला विकासखण्ड जिला	हस्ताक्षर जनशिक्षक जनशिक्षा केन्द्र विकासखण्ड जिला
हस्ताक्षर शिक्षक प्रा./मा./शाला	हस्ताक्षर बाल केबिनेट सदस्य	

शाला विकास योजना प्रपत्र –2

(YEAR-----)

शाला विकास योजना प्रपत्र–1 से भरकर जनशिक्षा केन्द्र को भेजने वाला प्रपत्र

शाला का नाम : डायस कोड

1. बच्चों की संख्या बालक बालिका कुल
2. कुल शिक्षकों की संख्या प्रशिक्षित संख्या अप्रशिक्षित संख्या RTE आधार पर आवश्यक शिक्षकों की संख्या
3. किस विषय में शिक्षक की आवश्यकता है विषय 1 2 3
4. शाला से बाहर बच्चों की संख्या (बसाहट में) बालक बालिका कुल
5. यदि शाला प्राथमिक है एवं मापदण्डानुसार माध्यमिक शाला की आवश्यकता है तो निम्नाकिंत प्रपत्र भरें।

शाला शिक्षा कोष में जमा कुल राशि रूपये

आयाम	प्राथमिकता के आधार पर शाला हेतु विभागीय सहायता से किये जाने वाले कार्य
1. शाला में उपलब्ध संसाधन - उनकी उपलब्धता और पर्याप्तता, गुणवत्ता और उपयोगिता	
2. सीखना-सिखाना और उसका आकलन	
3. विद्यार्थियों की प्रगति, उपलब्धि और विकास	
4. शिक्षकों का कार्य-प्रदर्शन और उनका व्यावसायिक उन्नयन	
5. शाला नेतृत्व और शाला प्रबंधन	
6. समावेश, स्वास्थ्य और सुरक्षा	
7. समुदाय की सहभागिता	

शाला के शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु सुझाव के 5 बिन्दु लिखें।

1.

2.

3.

4.

5.